



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर  
पीठारसीन अधिकारी:-श्री मूलचन्द लूणिया (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या:-03 / 19

निर्णय दिनांक:-12.11.2020

1. रामकरण पुत्र सांवरमल जाति पुरोहित ब्राहमण निवासी ग्राम रामसीसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

.....प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील रामगढ़ शेखावाटी।
2. पटवारी पटवार हल्का ढांढण।
3. मदनलाल पुत्र सांवरमल
4. रामप्यारी पत्नी सांवरमल
5. शंकरलाल पुत्र रणछोड़
6. रूपचन्द पुत्र रणछोड़
7. अशोक कुमार पुत्र काशीराम
8. प्रवीण कुमार पुत्र काशीराम
9. शदू पत्नी काशीराम
10. पवन कुमार पुत्र भंवरलाल
11. दिनेश कुमार पुत्र भंवरलाल
12. सरोज कुमार पुत्र भंवरलाल
13. शांति देवी बेवाह भंवरलाल समस्त जाति पुरोहित ब्राहमण निवासी ग्राम रामसीसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट बाबत नाम संशोधन

:-निर्णय:-

उपस्थिति अधिवक्ता:-श्री अनिल मिश्रा(प्रार्थी की ओर से)

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि जिसके नवीनतम खसरा नम्बर 252 रकबा 5.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 491 रकबा 1.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 91 रकबा 5.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 92 रकबा 0.81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 4.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 97 रकबा 2.90 हैक्टेयर कुल कित्ता 6 कुल रकबा 20.76 हैक्टेयर वाके ग्राम रामसीसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

मुझ प्रार्थी ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा ग्राम रासीसर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, जिसमें मेरा नाम रामकरण पुत्र सांवरमल दर्ज है। अन्य दरतावेजात आवासीय मकान में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा विद्युत कनेक्शन दिया गया है जिसके खाता संख्या 2202/0496 है, जिसमें भी प्रार्थी का नाम रामकरण पुत्र सांवरमल दर्ज है। प्रार्थी के परिवार राशन कार्ड संख्या 008119600147 है, जिसमें भी प्रार्थी का नाम रामकरण पुत्र सांवरमल दर्ज है। प्रार्थी के निर्वाचन पहचान पत्र संख्या YIN/0035915 में भी मुझ प्रार्थी का नाम रामकरण पुत्र सांवरमल अंकित है। मुझ प्रार्थी के आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड में भी नाम रामकरण पुत्र सांवरमल ही अंकित है। ग्राम पंचायत ढांढण के सरपंच द्वारा

उपखण्ड अधिकारी  
रामगढ़ शेखावाटी



जारी प्रमाण पत्र, मुझ प्रार्थी की पत्नी संपति देवी का निवेदन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक, व प्रार्थी के पुत्र धीरज, श्यामसुन्दर के शिक्षा व अन्य दस्तावेज में भी प्रार्थी का नाम रामकरण ही दर्ज है।

मुझ प्रार्थी रामकरण पुत्र सांवरमल के राजस्व रिकॉर्ड में रामावतार पुत्र सांवरमल दर्ज है, जो रामावतार नाम सहवन से राजस्व अधिकारियों द्वारा अंकित किया गया है, चारतव में रामावतार के स्थान पर रामकरण दर्ज किया जाना चाहिए था। मुझ प्रार्थी के उक्त राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन से प्रार्थी को काफी असुविधा का सामना करना पड रहा है, राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन को संशोधन करवाने के लिए प्रार्थी विधिक रूप से अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामावतार के स्थान पर रामकरण संशोधन किया जाना प्रार्थनीय है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, 07 ता 13 बावजूद तामिल हाजिर अदालत नही आने पर उक्त के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 05 व 06 ने स्वयं उपस्थित अदालत होकर कथन किया कि रामकरण पुत्र सांवरमल मेरे बडे भाई का पुत्र है, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में नाम रामावतार गलत दर्ज हो गया जिसका संशोधन कर रामकरण दर्ज किया जाना प्रार्थनीय है। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी ने तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम रामकरण पुत्र सांवरमल ही है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत 2074-77, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामसीसर द्वारा सत्र 1989-90 में जारी प्रार्थी की अंक तालिका, राशन-कार्ड, बिजली का बिल, वोटर आई-डी, आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड, भामाशाह कार्ड, पत्नी की वोटर आई-डी, पत्नी का आधार कार्ड, पुत्र का शैक्षिक रिकॉर्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, पत्नी के खाते की बैंक पास बुक उक्त सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम रामकरण ही दर्ज है। कार्यालय ग्राम पंचायत, ढांडण द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें प्रार्थी का नाम रामकरण दर्ज है। सहखातैदार शंकरलाल व रूपचन्द के बयान दर्ज किये गये।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रामसीसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी में अवस्थित खसरा नम्बर 252 रकबा 5.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 491 रकबा 1.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 91 रकबा 5.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 92 रकबा 0.81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 4.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 97 रकबा 2.90 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 20.76 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम सहवन से रामावतार दर्ज हो गया है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात में उनका नाम रामकरण ही दर्ज है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में रामावतार पुत्र सांवरमल के स्थान पर रामकरण पुत्र सांवरमल किया जाना प्रार्थनीय है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात, अप्रार्थीगण के शपथ पत्र का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी के स्वयं तथा पत्नी व लडको के समस्त लोक दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम रामकरण ही दर्ज है। तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी द्वारा प्रेषित


उपखण्ड अधिकारी  
रामगढ़ शेखावाटी

रिपोर्ट तथा सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम रामकरण ही दर्ज है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम रामसीसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी में अवस्थित खसरा नम्बर 252 रकबा 5.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 491 रकबा 1.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 91 रकबा 5.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 92 रकबा 0.81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 4.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 97 रकबा 2.90 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 20.76 हैक्टेयर में अंकित रामा अवतार पुत्र सांवरमल के स्थान रामकरण पुत्र सांवरमल दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी उपरोक्तानुसार अमल दरामद करे। निर्णय आज दिनांक 12.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(मूलचन्द लूणिया)  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगढ़ शेखावाटी